

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>24.6.2016</p> | <p style="text-align: center;">न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</p> <p style="text-align: center;">नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं०- 11/2014-15</p> <p>बबलू यादव एवं पंकज यादव, माता-स्व० रम्भा देवी, सा०-मझुआ, बंसी यादव टोला, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया - पुनरीक्षणकर्ता</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>सुखदेव यादव, पिता-स्व० झटकन यादव, सा०-मझुआ, बंसी यादव टोला, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया - उत्तरवादी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>उभय पक्ष की ओर से हाजरी दी गई। द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 27.01.2016 को Order 22 rule 10(a) के अन्तर्गत विपक्षी सुखदेव यादव के मरने की सूचना न्यायालय को दी गई है तथा आवेदक के अधिवक्ता ने आवेदन की प्रति प्राप्त की है। परन्तु समय-सीमा व्यतित होने के बावजूद भी आवेदक के द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।</p> <p>अतः Order 22 rule 3 C.P.C. के तहत विपक्षी सुखदेव यादव के विरुद्ध मामला उपसमित (Abate) किया जाता है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संसोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>हस्ताक्षर—</p> <p>अपर समाहर्ता अररिया</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>हस्ताक्षर—</p> <p>अपर समाहर्ता अररिया</p> </div> </div> <p>ज्ञापांक 96/रा०(न्या०), अररिया, दिनांक 24/06/2016</p> <p>प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं० 183/12-13 / 95/2013-14 (बबलू यादव एवं अन्य बनाम सुखदेव यादव) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p>अनुलग्नक : नामान्तरण अपील वाद सं० 183/12-13 / 96/2013-14 मूल में।</p> <p>प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को नामान्तरण वाद सं० 917/2010-11 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p>अनुलग्नक : नामान्तरण वाद सं० 917/2010-11 मूल में।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>हस्ताक्षर— 24/6/16</p> <p>अपर समाहर्ता अररिया</p> </div> | |